झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) भू–अर्जन–10–02 / 2016 ..... / राँची, दिनांक : .....

आदेश

श्री ब्रजेश कुमार सिंह, तत्कालीन मापक, भू–अर्जन कार्यालय संख्या–1 आदित्यपुर–जमशेदपुर सम्प्रति मापक विशेष भू–अर्जन कार्यालय मध्यम सिंचाई परियोजना चाईबासा को ग्राम सालवनी के ग्रामीणों द्वारा विस्थापितों से फार्म भरने / जमा करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में ईचागढ़ थाना को सुपुर्द किया गया जहाँ इन ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी पर ईचागढ़ थाना कांड सं०– 19 / 92 दिनांक– 24.05.1992 दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

उक्त आरोप में भू–अर्जन एवं पुर्नवास आदित्यपुर जमशेदपुर के कार्यालय आदेश संख्या-- 2141 दिनांक– 30.05.1992 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर जमशेदपुर के आदेश ज्ञापांक– 738 दिनांक-- 30.12.2015 द्वारा अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर को संचालन पदाधिकारी एवं मोहम्मद आसिफ हसन, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

उक्त मामले में श्री सिंह दिनांक– 25.05.1992 से 06.09.1995 तक निलंबित रहे हैं।

उक्त वर्णित ईचागढ़ थाना काण्ड संख्या–19 / 92 दिनांक– 24.05.1992 में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला–खरसांवा द्वारा दिनांक– 06.05.1997 को पारित न्याय निर्णय में श्री सिंह को मुक्त कर दिया गया।

उक्त कांड में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय पत्रांक– 2139 दिनांक– 29.07.2011 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कांड में पुलिस द्वारा समर्पित चार्जशीट नं०–7 / 12 को माननीय न्यायालय द्वारा टाईम वार्ड मानते हुए उपर्युक्त वर्णित पूर्व के न्यायिक आदेश दिनांक– 06.05.1997 को यथावत् रखा गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–983 दिनांक– 31.03.2016 द्वारा पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण प्रतिवेदन एवं मुकद्में के गवाह व सुचककर्त्ता के बयान के आधार पर आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इससे सहमत होते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक– 335 दिनांक– 19.01.2017 के द्वारा निम्न प्रस्तावित दण्ड के साथ द्वितीय कारण पृच्छा की गई :–

(क) निन्दन

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) निलबंन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु यह अवधि पेंशन प्रदायी मानी जायगी।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त इसे अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक सं०– 2204 दिनांक– 11.05.2017 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) निन्दन

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) निलबंन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु यह अवधि पेंशन प्रदायी मानी जायगी।

श्री ब्रजेश सिंह मापक द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद सं०– 4484/2017 (ब्रजेश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 28.02.2019 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में श्री सिंह द्वारा अपील अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया। उक्त अपील आवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि –

(i) श्री सिंह का कृत्य किसी नियम/ परिनियम का उल्लंघन सीधे तौर पर आरोप पत्र में अंकित नहीं रहते हुए भी यह Service Conduct rule के अन्तर्गत misconduct का मामला है। आरोप पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि आरोपी पदाधिकारी घटना की तिथि यानि 25.05.1992 को सरकारी कार्यवश ग्राम सालवनी गये थे। सालवनी ग्राम में फार्म भरने /जमा करने के लिए विस्थापितों से रिश्वत लेने के आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया है।

(ii) संचालन पदाधिकारी ने उभय पक्षों का बयान लिया है। शिकायकर्त्ता ने प्राथमिकी के बयानो को कायम रखा है। संचालन पदाधिकारी का Status quasi judicial है, अतएव, शिकायतकर्त्ता से शपथपत्र नहीं लेने एवं इन्हें अवसर नहीं देने जैसे defence को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(iii) अपराधिक कार्यवाही में माननीय ए०सी०जे०एम० न्यायालय द्वारा इन्हें merit के आधार पर नहीं बल्कि time barred के आधार पर बरी किया गया है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम– 165–168 परिशिष्ट –प के अन्तर्गत निर्गत परिपत्र संख्या– 10151 दिनांक– 23.08.1963 की कंडिका– (7) में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त होने पर भी विभागीय कार्यवाही में प्रतिकूल निर्णय लिये जा सकते हैं, संदर्भित प्रावधान का अंश निम्नवत् है :– "Secondly, while the court may have held that there was no offence, the appointing authority may decide that the accused govt. servant was guilty of departmental misdemeanour and has not behaved in a manner expected of him as govt. In such circumstances a govt. servant held not guilty by the court may still be dismissed from service."

अतएव, सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सिंह तदेन मापक भू–अर्जन कार्यालय सं०–01 आदित्यपुर जमशेदपुर, विशेष भू–अर्जन कार्यालय मध्यम सिंचाई परियोजना चाईबासा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय दण्डादेश सं०– 2204 दिनांक– 11.05.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड को बहाल रखने का निर्णय लिया गया है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त आदेश को संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4657 राँची/दिनांक 28/8/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले०एवं ह०), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/संयुक्त सचिव, प्रशाखा–14, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुर्नवास, अपर निदेशक का कार्यालय, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जल संसाधन विभाग, आदित्यपुर जमशेदपुर 831013/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, चाईबासा, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, चाईबासा/श्री ब्रजेश कुमार सिंह, मापक, विशेष भू–अर्जन कार्यालय मध्यम सिंचाई परियोजना चाईबासा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\MNZ\Letter\Order\08_J.S (S)_Bhu_Arjan_10_02_2016_(Brajesh Kumar Singh).docx 5